**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 647**

**दिनांक 08 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**औषधीय मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया**

**647. डा. अमी यज्ञिक:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधीय मानदंड़ों का अनुपालन नहीं करने पर चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि विनिर्माताओं को कोई नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नोटिसों की विस्तृत सूची क्या है;

(ग) अब तक प्राप्त इसके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे औषधि विनिर्माताओं के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (ग):** जी हां। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) का अनुपालन नहीं करने के लिए औषध कम्पनियों को जारी नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | जारी किए गए मांग नोटिसों की संख्या | मांग नोटिसों की राशि (करोड़ में) | वसूली गई राशि (करोड़ में) |
| 2015-2016 | 263 | 931.63 | 12.32 |
| 2016-2017 | 137 | 333.97 | 302.08 |
| 2017-2018 | 221 | 704.12 | 148.42 |
| 2018-2019 (नवम्वर 2018 तक) | 162 | 218.20 | 35.70 |

अधिक कीमत लेने वाले मामलों की विस्तृत सूची जिन्हें मांग पत्र जारी किए गए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की वेबसाइट पर अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

**(घ):** डीपीसीओ, 1995 और डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार अधिक कीमत की वसूली के लिए कार्रवाई की गई। तथापि, कुछ मामलों में, अधिक कीमत के लिए जारी मांग पत्र को न्यायालयों में चुनौती दी गई। एनपीपीए, सतत् प्रक्रिया के रूप में, इन न्यायालयी मामलों में लगा रहता है। जहां एनपीपीए द्वारा उठाई गई मांग को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती और संबंधित कम्पनी मांग की गई राशि को जमा नहीं करती, तब यह मामला आवश्यक सामग्री अधिनियम, 1955 के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अधिक राशि की वसूली के लिए संबंधित जिलाधीश को संदर्भित किया जाता है। जिलाधीश को संदर्भित मामलों में भी बाद की कार्यवाही एनपीपीए द्वारा की जाती है।

\*\*\*\*\*